5. अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखः

समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरुप किये जाते है। विभिन्न शासनादेशों का संकलन तथा वित्तीय नियम संग्रह विभाग में उपलब्ध है। शासकीय कार्यो के सम्पादन हेतु जिन अभिलेखों को आवश्यक होता है, वे अभिलेख अवश्य रखे जाते है एवं यानों के अनुरक्षण/परिचालन हेतु समय समय पर भारत सरकार नागर विमानन विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्रों का संकलन उपलब्ध है। इन परिपत्रों में दिये गये दिशा-निर्देश के अनुपालन में ही विभाग के यानों का अनुरक्षण एवं परिचालन कार्य सम्पादित किया जाता है।